रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 1974/ वैशाख 18, 1896
No 213] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 1974/VAISAKHA 18, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May 1974

S.O. 286(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 1974.

2. **Amendment of rule 70.**—In rule 70 of the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the "said Rules"),—

(a) under item (ii), rule 39A, the following rule shall be substituted, namely:—

"39A. Maintenance of secrecy of voting by electors within polling station and voting procedure."

(1) Every elector to whom a ballot paper has been issued under rule 38A or under any other provision of these rules, shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

(2) The elector on receiving the ballot paper shall forthwith—

(a) proceed to one of the voting compartments;

(b) record his vote in accordance with sub-rule (2) of rule 37A with the article supplied for the purpose;

(c) fold the ballot paper to as to conceal his vote;

(d) insert the folded paper into the ballot box; and

(e) quit the polling station.

(3) Every elector shall vote without undue delay.

(4) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.

(5) If an elector to whom a ballot paper has been issued, refuses, after warning given by the presiding officer to observe the procedure as laid down in sub-rule (2), the ballot paper issued to him shall, whether he has recorded his vote thereon or not, be taken back from him by the presiding officer or a polling officer under the direction of the presiding officer.

(6) After the ballot paper has been taken back, the presiding officer shall record on its back the words "Cancelled; voting procedure violated" and put his signature below those words.

(7) All the ballot papers on which the words "Cancelled: voting procedure violated" are recorded, shall be kept in a separate cover which shall bear on its face the words "Ballot papers: voting procedure violated".

(8) Without prejudice to any other penalty to which an elector, from whom a ballot paper has been taken back under sub-rule (5), may be liable, vote, if any, recorded on such ballot paper shall not be counted"; and

(b) for item (iv), the following items shall be substituted namely:—

"(iv) in rule 46, in sub-rule (1), in lieu of clauses (b) and (c), the following clauses shall apply:—

"(b) the ballot papers signed in full by the presiding officer under sub-rule (1) of rule 38A but not issued to the voters;

(c) the ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 39A."

3. **Amendment of rule 73.**—In rule 73 of the said rules, in sub-rule (2),—

(a) in clause (d), the word "or" shall be inserted at the end; and

(b) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

"(e) there is any figure marked otherwise than with the article supplied for the purpose."

[No. F. 7(14)/74-Leg.II]

S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 1974

एस०ओ० 286(अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम** —इन नियमों का नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1974 है।

2. **नियम 10 का संशोधन** —निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियमों" कहा गया है) के नियम 70 में,—

(क) मद (ii) के नीचे, नियम 39क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"39क. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया ।

(1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 38क या इन नियमों के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उस योजन के लिए इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण,—

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जाएगा;

(ख) नियम 37क के उपनियम (2) के अनुसार अपना मत, उस प्रयोजन के लिए दिए गए उपकरण से, अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाए ;

(घ) मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

(ङ) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा ।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा ।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा ।

(5) यदि कोई निर्वाचक जिसे मतपत्र दिया गया है, उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने से, पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी इन्कार करे तो, उसे दिया गया मतपत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन आफिसर द्वारा या पीठासीन आफिसर के निदेश से मतदान आफिसर द्वारा उससे वापस ले लिया जाएगा ।

(6) मतपत्र वापस लिए जा चुकने के पश्चात् पीठासीन आफिसर उसके पृष्ठ भाग पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(7) ऐसे सब मतपत्र जिन पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित हो, एक पृथक् लिफाफे में रखे जाएंगे जिसके ऊपर "मतपत्र: मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित होंगे ।

(8) ऐसी अन्य किसी भी शास्ति पर, जिसमें कि ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस ले लिया गया है, दण्डनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका मत यदि ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित किया गया है संगणित नहीं किया जाएगा।"; और

(ख) मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:

"(iv) नियम 46 के उपनियम (1) में, खण्ड (ख) और (ग) के बदले, निम्नलिखित खण्ड लागू होंगे:—

"(ख) नियम 38क के उपनियम (1) के अधीन पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किन्तु मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्रों के;

(ग) नियम 39क के अधीन मतदान की प्रक्रिया के उल्लंघनस्वरूप रद्द किए गए मतपत्रों के;" ।

(3) **नियम 73 का संशोधन**.—उक्त नियमों के नियम 73 में, उपनियम (2) में,—

(क) खण्ड (घ) में, अन्त में "अथवा" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा; और

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ) उस प्रयोजन के लिए दिए गए उपकरण द्वारा चिह्नित अंक से भिन्न कोई अंक है"।

[सं० फा० 7(14)/74-वि 2]

एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974